प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से **161—चौरासी (अ.ज.जा**.) का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—श्री राजकुमार रोत , मु. खरवरखुणिया पो. सांसरपुर तह. झौंथरीपाल जिला—इंगरपुर (राज.) , भारतीय ट्रायबल पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : डूंगरपुर

तारीख: 11.12.2018

मणीलाल तीरगर

रिटर्निंग ऑफिसर विद्यानसमा निर्वाचन दीर

161-चौरासी (अ.ज.जा.) विधानसमा क्षेत्र

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 161-Chorasi (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sh. **Rajkumar Roat**, vill. Khrvarkhuniya post sansarpur tehsil jotharipal dist. Dungarpur sponsored by **Bhartiya Tribal Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Dungarpur

Date 11-12-2018

(Manilal Tirgar)

PRETURING OFFICER

161-6HORASI (ST)SASTEMBLY Constituency

(S.D. MONSHVIALWARA)

BANTINUENCY-161 CHO

^{*}Score out, if inappropriate.